प्रेस नोट

दिनाँक 26-04-21

### वांछित अपराधी के विरुद्ध चले चैकिंग अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वांछित अभि0 को किया गिरफ्तार

श्रीमान उपमहानिरिक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय महोदय के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सिहानी गेट श्री कृष्ण गोपाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सिहानीगेट के मु0अ0सं0 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादवि0 के वाछिंत अभि0गण 1.िटन्कू पुत्र सौदान सिह नि0 ग्राम बडौली फतेह खां थाना मडराक जिला अलीगढ , 2. जितेन्द्र कुमार सिह पुत्र गोपाल सिह नि0 ग्राम गुलौरा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार राज्य , हाल निवासी – हमतुम रोड़ मोती रेजिडेन्सी फ्लैट नं0- 02 ए ब्लाक थाना बापूधाम जिला गा0बाद , 3-विनय चौहान पुत्र वीरेश चौहान नि0 ग्राम मान थाना जवां जिला अलीगढ हल निवासी पंडित जी का किराये का मकान नं0 डी 14 कृष्णा कुंज थाना नन्दग्राम गा0बाद को दौराने चैिकंग मुखबिर खास की सूचना पर कही जाने की फिराक में खड़े अभि0गण टिन्कू आदि 03 नफर उपरोक्त को टैम्पू स्टैण्ड हापुड रोड से थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा दि0 26/04/021 को को समय 10.30 बजे मय वाहन सं0 DL1LAB2888 से सम्वन्धित अभिलेखों की फाईल सिहत गिरफ्तार किया गया।

### अपराध का विवरण -

दिनांक 25/04/021 को वादी श्री आमोद पुत्र अशोक नि0 सूरज पार्क गेट नि 2 समयपुर बादली नई दिल्ली। द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादिवि थाना सिहानीगेट गा0बाद बनाम बोलेरो गाडी UP 81 AV 3480 के चालक अज्ञात द्वारा वादी की गाडी में टक्कर मार दी जिससे दोनो गाडियों में नुकसान हो गया उक्त बोलेरों गाडी के ड्राईवर ने मोके पर अपने 4 – 5 साथी ओर बुला लिये तथा हमें एक दुसरों गाडी में डालकर हिंडन नदी के पास रेलवे पटरी के किनारे साइड पर ले गये तथा वहा जाकर हमसे गाडी सही कराने को लेकर 1 लाख रूपये मांगने लगे और हमें जान से मारने की धमकी देते हुऐ बहुत मारा पीटा और हमारी गाडी की फाइल और चाबी छीन ली और हमारा मो0न0 ले लिया और हमें मार पीट कर मेरठ रोड पर छोड गए और कहा पैसे दे देना और फाइल चाबी ले लेना के संम्बन्ध में रिपॉट दर्ज की गयी थी।

# नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.टिन्कू पुत्र सौदान सिंह नि0 ग्राम बडौली फतेह खां थाना मंडराक जिला अलीगढ
- 2. जितेन्द्र कुमार सिंह पुत्र गोपाल सिंह नि0 ग्राम गुलौरा थाना गोपालपुर जिला गोपालगंज बिहार राज्य , हाल निवासी हमतुम रोड़ मोती रेजिडेन्सी फ्लैट नं0- 02 ए ब्लाक थाना बापूधाम जिला गा0बाद
- 3-विनय चौहान पुत्र वीरेश चौहान नि0 ग्राम मान थाना जवां जिला अलीगढ हल निवासी पंडित जी का किराये का मकान नं0 डी 14 कृष्णा कुंज थाना नन्दग्राम गा0बाद

### पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 456/21 धारा 279/427/147/323/506/342/392 भादवि0 थाना सिहानीगेट गा0बाद

#### बरामदगी

वाहन सं0 DL1LAB2888 से सम्वन्धित अभिलेखो की फाईल

# थाना विजयनगर पुलिस द्वारा 56 पव्वे व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक / विरष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमित पाठक के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक विजयनगर के कुशल नेतृत्व में थाना विजय नगर पुलिस को शातिर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान उस समय महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई जब थाना विजयनगर की पुलिस पार्टी द्वारा दिनांक 25.04.2021 को रात्रि चैकिंग के दौरान दो शातिर अभियुक्तगण 1. अनीस 2. जीशान को 56 पव्ये व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज के साथ तिगरी गोल चक्कर के पास थाना क्षेत्र विजयनगर से गिरफ्तार किया गया।

- 1- अनीस पुत्र रहीश, नि. मौहल्ला कोटला मेवातिया, थाना हापुड नगर, जनपद हापुड
- 2- जीशान पुत्र मुल्ली जी फारुफ, नि. ग्राम मालागढ, थाना अगौता, जनपद बु.शहर

### पंजीकृत अभियोग का विवरण

1- मु.अ.स. 427/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना विजय नगर गाजियाबाद **बरामदगी का विवरण** 

1. 56 पव्वे व 4 हाफ अंग्रेजी शराब नाजायज



### <u>थाना कविनगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से घटना</u> <mark>में प्रयुक्त मोटर साईकिल व 1 तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए ।</mark>

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/विरष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा वांछित अभियुक्तो के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी किवनगर व प्रभारी निरीक्षक किवनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में गठित टीम द्वारा थाना किवनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 554/2020 धारा 307 भादिव मे वांछित अभियुक्त अंकित पुत्र रुपचन्द निवासी शाहपुर बम्हेटा थाना किवनगर गाजियाबाद को चैंकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर दिनांक 25.04.2021 को समय 22.30 बजे एच पी पैट्रोल पम्प से यादव नगर की तरफ अन्डर पास लाल कुँआ क्षेत्र थाना किवनगर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त की घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज व एक मोटर साईकिल सुपर स्पलेन्डर नं0 UP14DK 6205 बरामद हुए जिसके सम्बन्ध मे थाना किवनगर पर मु0अ0सं0 578/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

#### अपराध कारित करने का तरीका:-

अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसने अपने अन्य साथी के साथ मिलकर मुकदमा उपरोक्त की वादिया की सहेली श्रीमती सुमन पर जान से मारने की नियत से फायर कर गम्भीर रूप से घायल किया था, जिसके सम्बन्ध मे वादिया द्वारा दिनांक 19.04.2021 को थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 554/2021 धारा 307 भादवि पंजीकृत कराया गया। थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अंकित उपरोक्त की तत्परता से तलाश की जा रही थी।

#### <u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –</u>

### <u>बरामदगी का विवरण –</u>

घटना मे प्रयुक्त मोटर साईकिल सुपर स्पलेन्डर नं0 UP14DK 6205 घटना मे प्रयुक्त 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर नाजायज

# आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित-

- 1- मु०अ०सं० ५५४/२०२० धारा ३०७ भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 578/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद। अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

